

पत्र संख्या : 7ब/4700 यो० जल सं०-02/2016 148

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुख्यदेव सिंह,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्ण रेखा परियोजना/  
मुख्य अभियंता, चाण्डिल/ईचा-गालूडीह स्वर्ण रेखा परियोजना;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 04.10.16

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49P470080796130545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है।

| क्र. | मॉग सं./मुख्य शीर्ष                                        | उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष                      | उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/<br>विपत्र कोड                                                                             | आवंटित राशि<br>(लाख रु. में) |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                          | 3                                             | 4                                                                                                                  | 5                            |
| 1.   | 49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 80-सामान्य, / 796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना, | 13-स्वर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49P470080796130545 | 2044.10                      |

आवंटित राशि - ₹ बीस करोड़ चौवालीस लाख दस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के बजट उपबंध ₹ 25000.00 लाख (रुपये दो सौ पचास करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं सक्षम अधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 148

राँची, दिनांक :- 04-10-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्नु, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसौवा/चाईबासा/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 148

राँची, दिनांक :- 04-10-16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)  
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)  
प्रधान सचिव

पत्रांक :- 148

दिनांक 04-10-16 का अनुलानक

परिशिष्ट-1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगना

उप शीर्ष -13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना)

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49P470080796130545

बजट उपबंध ₹ 25000.00 लाख (रूपये दो सौ पचास करोड़) मात्र।

(राशि ₹ लाख में)

| क्र०                                                          | प्रमंडल का नाम                                            | मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र                   | योजना का नाम        | प्रशासनिक स्वीकृति का                 |           | मार्च 2016 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन |               |           | On-line Allotment Access No. | अभियुक्ति |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|
|                                                               |                                                           |                                            |                     | प्रसंग                                | राशि      |                       | पूर्व का आवंटन                 | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन |                              |           |
| 1                                                             | 2                                                         | 3                                          | 4                   | 5                                     | 6         | 7                     | 8                              | 9             | 10        | 11                           | 12        |
| 1                                                             | खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर (SKLARR016)                      | चांडिल कॉम्पलेक्स / ईचा-गालूडीह कॉम्पलेक्स | सुवर्णरेखा परियोजना | 19/10-11 प्र.स्वी., दिनांक-14.10.2010 | 661374.00 | 435157.00             | 1000.00                        | 300.00        | 1300.00   | 64141                        |           |
| 2                                                             | लघु वितरणी प्रमंडल सं.-4, गालूडीह (JSRIARR072)            |                                            |                     |                                       |           |                       | 2000.00                        | 444.10        | 2444.10   | 64142                        |           |
| 3                                                             | खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर (SKLARR032)                  |                                            |                     |                                       |           |                       | 7000.00                        | 600.00        | 7600.00   | 64143                        |           |
| 4                                                             | लघु वितरणी प्र० सं०-9, घाटशिला शिविर गालूडीह (JSRIARR050) |                                            |                     |                                       |           |                       | 700.00                         | 200.00        | 900.00    | 64144                        |           |
| 5                                                             | खरकई नहर प्रमंडल, चार्डबासा (SGHARR002)                   |                                            |                     |                                       |           |                       | 2300.00                        | 500.00        | 2800.00   | 64145                        |           |
| योग                                                           |                                                           |                                            |                     |                                       |           |                       | 13000.00                       | 2044.10       | 15044.10  |                              |           |
| अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ बीस करोड़ चौवालीस लाख दस हजार मात्र। |                                                           |                                            |                     |                                       |           |                       |                                |               |           |                              |           |

(ऑफर नाथ)

सहायक अभियंता

(मुक्ति राधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव